न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 05/2025 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2025/1

1. अजय सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी चक 10 एच एम एच अमरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. करणी सिंह
3. दलपत सिंह
4. पूनम कंवर
5. हेम कंवर पत्नी स्व. महावीर सिंह

   पिसरान श्री महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी चक 10 एच एम एच अमरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. आर्यमन पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी आई.टी.आई. कॉलेज के पास, बीकानेर हाल चक 2 जी एसम एम तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

——अपीलांट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार छतरगढ़ जिला बीकानेर।

—रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया — अभिभाषक अपीलांट्स
मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 22.08.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ के आदेश दिनांक 01.05.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है –

1– वादगत भूमि ग्राम घेघड़ा तहसील छतरगढ़ के खसरा नंबर 446/98 की 12.5000 हैक्टेयर व इसमें से ख.नं. 448/446 की 6.200 हैक्टेयर खातेदारी भूमि है। खसरा नंबर 446/98 की 12.5000 हैक्ट. भूमि का इंतकाल सं. 391 दिनांक 08.12.2023 अपीलांट्स के नाम दर्ज है। जिसमें से अपीलांट सं. 6 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीद करने पर ख.नं. 448/446 की 6.2600 हैक्टेयर भूमि का इंतकाल सं. 397 दिनांक 21.02.2024 दर्ज हो गया। उक्त भूमि बाबत तहसीलदार राजस्व छतरगढ़ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2024 पारित करते हुए इंतकाल संख्या 391 व 397 को खारिज कर दिया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट सं. 1 ता 5 के पूर्वज महावीर सिंह पुत्र मूलसिंह के नाम से छतरगढ़ तहसील के गाम घेघड़ा में ख.नं. 15/1 मीन हाल ख.नं. 100, 101, 103, 104, 98 में कुल 400 बीघा भूमि सम्वत् 2010 से चली आ रही थी जो संयुक्त खाते में आने पर महावीर सिंह के नाम से 50 बीघा भूमि दर्ज रही तथा मौके पर कब्जा काश्त वर्षों पूर्व सम्वत् 2012 से पूर्व का चला आ रहा है। वर्तमान में शुद्धि पत्र आदेश दिनांक 30.10.2023 को ख.नं. 98 मीन होने के कारण ख.नं. 446/98 की 12.5000 हैक्टेयर भूमि दर्ज करने के आदेश दिये जिसकी पालना में इंतकाल सं. 391 दिनांक 08.12.2023 को अपीलांट्स के नाम दर्ज रही। तत्पश्चात् अपीलांट सं. 6 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वैयनामा से खरीद करने पर वट्टा नंवर देकर ख.नं. 448/446 की 6.200 हैक्ट. भूमि इंतकाल सं. 397 दिनांक 21.02.2024 को दर्ज कर दी गई जो समस्त राजस्व रिकार्ड में अपीलांट्स के नाम चली आ रही थी। तहसीलदार छतरगढ़ द्वारा उक्त दोनों इंतकालों के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक ही अपील पेश की, जो मियाद वाहर थी। अपीलांट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वकालतनामा पेश किया गया और आगे पेशी दिनांक 15.04.2024 को प्राथमिक आपति का प्रा. पत्र पेश किया, जिस पर पेरोकारराज द्वारा जवाव प्रा. पत्र पेश किया। दिनांक 11.05.2024 को प्राथमिक आपति पर वहस सुनी गई और निर्णय प्राथमिक आपति पर ही होना था क्योंकि गुणावगुण पर वहस हुई नहीं थी किन्तु जैर अपील आदेश के द्वारा अपील ही स्वीकार कर ली गई। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश से संवंधित समस्त कार्यवाही एकतरफा तौर पर न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर की गई। कानूनन दो आदेशों की दो अलग—अलग अपील होती है। इस तथ्य पर गौर नही किया तथा मूल आदेश की अपील नही की गई। अपीलाधीन भूमि अपीलांट्स के पूर्वजों की सम्वत् 2012 से पूर्व की धारण की भूमि है। वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार हो चुके थे। उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने पर अराजीराज कर दी गई थी। मगर वाद में धारा 15 एएए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व की स्थिति वहाल स्वतः ही होनी थी। अपीलाधीन आदेश मौका जांच किये विना तथा माइण्ड अप्लाई किये विना पारित है, जो कानून विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3— राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के आवंटन का ना तो कब्जा लिया गया और न ही इस आवंटन का कब्जा देने बाबत किसी भी राजस्व रिकार्ड में कोई अंकन किया गया। आवंटन आदेश को कोई विधि परीक्षण कराए बिना इंतकाल दर्ज करने की प्रक्रिया अपनायी गई, जो कि आरंभ से ही शून्य व विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवज व अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2024 पारित करते हुए अपीलांट्स के नाम से दर्ज अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 391 दिनांक 08.12.2023 व बैयनामा नामान्तरण संख्या 397 दिनांक 21.02.2024 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को गुणावगुण पर सुनवाई का अवसर दिये बिना इकतरंफा तौर पर पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति पर बहस की गई थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण निर्णय पारित कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन आदेश दिनांक 01.05.2024 निरस्त किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर